



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेंगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(35)ग्रावि/नरेंगा/IBW/पार्ट-4/2016

जयपुर, दिनांक : 26 OCT 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेंगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी अपना खेत, अपना काम योजनान्तर्गत "सबका खेत, सबका काम" योजना प्रारम्भ किये जाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04/27.05.2011 एवं 28.11.2016।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेंगा योजना में योजना की भावना को देखते हुए दो प्रकार के कार्य रखे गये हैं-

1. सामुदायिक कार्य
2. व्यक्तिगत कार्य

इनमें व्यक्तिगत कार्यों के लिए मुख्य रूप से अपना खेत अपना काम योजना के रूप में कार्य किये जाते रहे हैं। इसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के कार्य लिये जाते रहे हैं, जिनमें भूमि विकास एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य प्रमुख हैं। इसके अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण बिन्दु ध्यान में लाया गया है कि अलग-अलग खातेदारों के मध्य हर एक में मेड़बंदी का कार्य लिये जाने में न केवल सबकी सहमति प्राप्त करने में समस्या आती है, अपितु इसके क्रियान्वयन में रास्ते अवरुद्ध होने और लागत अधिक आने की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसी क्रम में विभिन्न वरीयता क्रमों के अनुसार उनके कार्यों को प्राथमिकता से पहले लिये जाने का बिन्दु भी आता है।

इसमें समाधान के रूप में यह सुझाव लाया गया है कि जहाँ पर अनेक लाभार्थियों के खेतों को सम्मिलित करते हुए उनकी भूमियों के एक साथ विकास के कार्य लिये जा सकते हैं, वहाँ उन्हें प्राथमिकता से लिये जाने चाहिए, ताकि व्यक्तिगत कार्यों का सामुदायिक भावना से विकास हो सके। इसके अन्तर्गत यदि ऐसे विकास कार्यों में अनेक काश्तकार या लाभार्थी एक साथ सामुदायिक विकास कार्य हेतु सहमत होते हैं, वहाँ ऐसे कार्यों को विशेष रूप से लेते हुए उनके विकास की अलग से रणनीति बनाई जानी चाहिए।

इसमें व्यक्तिगत लाभ योजना के पात्र लाभार्थियों की सम्मिलित सीमा के भीतर एक साथ बड़ी संख्या में या विस्तृत भूमि सीमा में भूमि विकास संबंधी कार्य लिये जा सकते हैं। यह संख्या या भूमि सीमा क्या होगी, इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि किसी क्षेत्र में सामान्य भूमि स्वामित्व बहुत छोटा हो सकता है और कहीं बहुत बड़ा। इसमें यथासंभव अधिक से अधिक लाभार्थी संख्या को आधार बनाया जाना चाहिए, ताकि समुदाय के अधिकतम काश्तकारों को लाभान्वित किया जा सके।

इसके भीतर समस्त सीमाओं पर आवश्यक रूप से व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के पात्र व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जायेगा, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची-1 की धारा-5 में इंगित है। परन्तु यदि इसके भीतर की सीमा में कोई अन्य प्रकार का लाभार्थी आता है तो उसके कारण इस कार्य की स्वीकृति अवरुद्ध नहीं होगी, क्योंकि कार्य की चतुर्सीमा में मूलतः व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के पात्र व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि इस सीमा के भीतर आने वाले किसी काश्तकार का खेत में पहुँचने का मार्ग अवरुद्ध न हो और इसके लिए उनकी भी स्वतंत्र रूप में अलग से सहमति ली जा सकती है।

इसमें मुख्य रूप से तीन कार्यों पर बल दिया जाएगा—

1. खेत की मेड़बंदी।
2. मेड़बंदी का यथासंभव परस्पर सहमति से पगडंडी या रास्ते के रूप में विकास।
3. मेड़बंदी के किनारे यथाआवश्यक पौधारोपण या आवश्यक हो तो नाली/डिच निर्माण।

इसमें आवश्यकतानुसार जल संरक्षण आदि के भी कार्य परस्पर सहमति से लिये जा सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया को सरल करते हुए नवीन प्रपत्र जारी किया जा रहा है, जो कि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस कार्य के कारण व्यक्तिगत लाभ के अन्य कार्य प्रभावित नहीं होंगे।

चूंकि यह कार्य व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा रहा है, अतः सबकी स्वीकृति पृथक्-पृथक् जारी की जानी आवश्यक होगी। चूंकि प्रत्येक काश्तकार की सीमा अलग-अलग होगी, अतः सबकी लागत अलग-अलग होगी। इसके लिए प्रत्येक की लागत का पृथक्-पृथक् आंकलन कर स्वीकृति जारी की जाये।


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 40(63)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जन्स/ पार्ट-2/2015 दिनांक 03.07.2015 द्वारा व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में प्रति लाभार्थी अधिकतम सीमा 03.00 लाख रुपये रखी गई है, जो राज्य सरकार के स्तर पर ही निर्णय कर जारी किया गया था। इसके अन्तर्गत यह सीमा प्रभावी नहीं रहेगी।

ऐसे कार्यों में राजकीय योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के कार्यों को प्राथमिकता से लिया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के अन्य कार्य भी व्यक्तिगत लाभार्थी की पात्रता की सीमा तक अनुमत रहेंगे।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम समुदाय में इसके लिए प्रेरित करने और आमुखीकरण करने का कार्य भी कर लिया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर ऐसे कार्यों को किया जा सके।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।




(के. के. पाठक)

शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 4 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
- 5 अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।


आयुक्त, ईजीएस

संलग्नक

सबका खेत, सबका काम योजना में सामुदायिक कार्य लिए जाने हेतु आवेदन एवं सहमति प्रपत्र -

क्र.सं.	काश्तकार/ व्यक्तिगत लामार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जॉब कार्ड नम्बर	सम्मिलित लामार्थी की व्यक्तिगत लाम की पात्रता श्रेणी	भूमि विवरण		सहमति के हस्ताक्षर
					खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (बीघा/बिस्वा या हैक्टेयर/ऐअर)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

उक्त द्वारा निम्न कार्यों पर सहमति व्यक्त की जा रही है, यथा -

1. खेत की मेड़बंदी।
2. मेड़बंदी का यथासंभव परस्पर सहमति से पगडंडी या रास्ते के रूप में विकास।
3. मेड़बंदी के किनारे यथाआवश्यक पौधारोपण या आवश्यक हो तो नाली/डिच निर्माण।

अन्य कार्य-